न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 108/2025/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 24.03.2025
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

रामप्रसाद पुत्र मन्नालाल जाति गुसाई निवासी बालून्दा तहसील मांगरोल, जिला बारां

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री महावीर प्रसाद बैरवा, अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 16.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 341/2016 बउनवान रामप्रसाद बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2020 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 62/2016 धारा 91 एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 18.02.2016 से अपीलार्थी को वाके ग्राम बालून्दा की सरकार भूमि किस्म गै0मु0 नाला सम्वत् 2072 में खसरा संख्या 147, 361 की 0.92 है0 भूमि पर फसल सरसों की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 3 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 400/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, बारां ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी प्रमाणित पाये जाने पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 25.11.2020 से खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन किये बिना पारित किये जाने से तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है, अपीलार्थी को पूर्व में बेदखल किया गया था, इसी रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को बिना सुनवाई एवं जवाबदेही

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

का अवसर दिये ही आदेश जेरअपील पारित कर दिया गया। अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है, उसने काफी समय पहले कब्जा छोड़ दिया हैं तथा तावान राशि जमा करा दी गई है। अपीलार्थी भविष्य में कभी उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है, अपीलार्थी को पूर्व में बेदखल किया गया था, इसी रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को बिना सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर दिये ही आदेश जेरअपील पारित कर दिया गया। अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है, उसने काफी समय पहले कब्जा छोड़ दिया हैं तथा तावान राशि जमा करा दी गई है। अपीलार्थी भविष्य में कभी उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगा। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के समक्ष तत्समय ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि ग्राम बालूंदा निवासी अतिक्रमी रामप्रसाद की ओर से जुर्माना की कोई राशि बकाया नहीं है तथा अतिक्रमी ने कब्जा छोड़ दिया है। जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 62/2016 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 18.02.2016 से अपीलार्थी को वाके ग्राम बालून्दा की सरकार भूमि किस्म गै0मु0 नाला सम्वत् 2072 में खसरा संख्या 147, 361 की 0.92 है0 भूमि पर फसल सरसों की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 3 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 400/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, बारां ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण प्रमाणित पाये जाने पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 25.11.2020 से खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है, अपीलार्थी को पूर्व में बेदखल किया गया था, इसी रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी को बिना सुनवाई एवं जवाबदेही

का अवसर दिये ही आदेश जेरअपील पारित कर दिया गया। अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है, उसने काफी समय पहले कब्जा छोड़ दिया हैं तथा तावान राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी के उक्त तर्क के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.06.2016 में अंकित किया गया कि ग्राम बालूंदा निवासी अतिक्रमी रामप्रसाद की ओर से जुर्माना की कोई राशि बकाया नहीं है तथा अतिक्रमी ने कब्जा छोड़ दिया है। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा भी अपील मीमों में यह तथ्य उठाये हैं की वर्तमान में अपीलार्थी को उक्त प्रश्नगत आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। चूंकि न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के द्वारा प्रकरण संख्या 62/2016 में निर्णय दिनांक 18.02.2016 को पारित किया गया है तथा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 06.06.2016 में अतिक्रमी भूमि से कब्जा छोडने संबंधी रिपोर्ट का उल्लेख किया है। प्रस्तुत प्रकरण काफी समय पुराना है, जिसे 9 वर्ष का समय हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील स्वीकार कर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 25.11.2020 अपास्त किया जाता है एवं न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के निर्णय दिनांक 18.02.2016 से अपीलार्थी की 3 माह के सिविल कारावास के दण्डादेश को निरस्त किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा